न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 77 / 2012

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
आशाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी असावरी तहसील व जिला नागौर		ग्राम पंचायत असावरी, मारफत सरपंच ग्राम पंचायत असावरी पंचायत समिति मुंडवा तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामलाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

दिनांक 03.06.2022

निर्णय

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत असावरी द्वारा सकल्प सं. 2 दिनांक 02.02.2009 के जारी पट्टा सं. 1 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.08.2012 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 24.08.2012 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री रामलाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा सं. 1 दिनांक 02.02.2009 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत असावरी बैठक रजिस्टर की फोटो प्रति, (पृष्ठ –4) प्रस्ताव दिनांक 02.10.2010 की फोटो, प्रति सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, सूचना के अधिकार के तहत् प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2010 की फोटो प्रति, पटटा दिनांक 02.02.2009 की फोटो प्रति, नक्शा की फोटो प्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)– पट्टा व पट्टा की कार्यवाही व संकल्प संख्या 2 विरूद्व कानून व हालात मामला के है।

2(2)– तथ्यों में दिये गये कारणों से पूरी कार्यवाही गलत व गैर कानूनी है जो काबिल निरस्त किये जाने के है। पट्टा जो बनाया है वह जायगा ग्राम पंचायत के स्वामित्व की नहीं है इसलिये ग्राम पंचायत को पट्टा बनाने का अधिकार इस भूमि का नहीं था। न पट्टा किसी के नाम बनाया है सार्वजनिक हो तो भी उसका कोई व्यवस्थापक या अन्य प्रबंधक हो, उसके नाम होना चाहिये वर्ना शून्य है। बुर्ज के नाप व पडोस भी सही नहीं लिखे है। पंचायत राज अधिनियम के नियमों में मंदिर के पास के जायगा आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है न इस नाम से भूमि आंवटन की जा सकती है इसलिये भी गलत है तथा नियमों की पालना नहीं की है। प्रार्थना पत्र आने के बाद मौका मुआयना पंचों द्वारा किया जाता है, नाप चोप होता है तथा नक्शा बनाया जाता है। उसके बाद पट्टा बनाने योग्य भूमि है का निर्णय लिया जाता है, उसके बाद आपतियों का प्रकाशन किया जाना चाहिये तथा फिर कोई उजरदारी न आने पर साक्ष्य जी जाकर पट्टा बनाया जाता है तथा नीलामी के बिना पट्टा बनाने का कोई प्रावधान पंचायत राज कानून में नहीं है। न मंदिर के लिये भूमि आंवटन का प्रावधान है।

2(3)– वास्तव में कोई पत्रावली ही नहीं खोली थी। केवल सरपंच द्वारा पट्टा बिना पत्रावली संख्या के बना कर इस जायदात को हडप कर जाने की योजना थी। वर्ना पत्रावली संकल्प भी होती व समय पर नकले भी दी जाती तथा समय पर पत्रावली अदालत सिविल जज (क0ख0) महोदय, नागौर की कोर्ट में पेश करते मगर तब तक पत्रावली थी ही नहीं, तो नकल किसकी देते व पत्रावली कहां से भेजते तथा सरपंच सचिव यह क्यों कहते कि उन्हें ऐसी पत्रावली चार्ज में नहीं मिली है न कार्यालय में ऐसी पत्रावली उपलब्ध है। पत्रावली संख्या बाद की प्रति में है पहले नहीं थे, वर्ना पहले वाली छाया प्रति में भी नंबर पत्रावली होता इसलिये पूरी कार्यवाही शून्य है।

2(4)– पहले वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच के प्रभाव में नहीं था। मगर बाद में पूर्व सरपंच के प्रभाव मे आया है। गाव वालों के बार बार कहने व पंच जवरसिंह के प्रस्ताव पर यह प्रस्ताव पहले लिया था कि पट्टा बुर्ज का बनाया है उसे निरस्त करने के लिये उच्च अधिकारियों को लिखा जावे। यह प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 02.10.2010 का है तथा बाद में वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच परसराम के प्रभाव में आने से रेकर्ड मे कांट छांट व फर्जी रेकर्ड बनाया है। इस संबंध में दिनांक 05.10.2011 की कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 1 मे " सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया" में अनुमोदन व किया गया के बीच नहीं शब्द जोडा गया है तथा यह चेष्टा की है कि ऊपर बताया प्रस्ताव नहीं किया गया था। इसके अलावा मामला कोर्ट में चलता है" शब्द भी बाद मे जोडे गये है। अगर पहले पट्टा की कार्यवाही निरस्त करने का प्रस्ताव नहीं होता तो 5.09.2011 की कार्यवाही मे इस संबंध मे कोई अनुमोदन की नौबत ही क्या थी। इसलिये यह कार्यवाही जो सरपंच व पूर्व सरपंच कर सकते है तो वे कुछ भी कर सकते है।

अपर कलक्टर, नागौर

इसलिये जांच का विषय है तथा फौजदारी प्रकरण भी इस संबंध में दर्ज करवाया जाना चाहिये। इसके अलावा सिविल जज (क0ख0) नागौर की कोर्ट में पहले वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी थे जिन्हें श्री परसराम सरपंच असावरी ने मुकर्रर किया था। उसके बाद चुनाव में वर्तमान सरपंच ने श्री ठाकुर प्रसाद राठी को अपना (ग्राम पंचायत असावरी) वकीन न रखने का अदालत में लिखा व श्री रामनारायण धोलिया को अपना वकील मुकर्रर किया। मगर दिनांक 30.07.2012 की पेशी पर इसी सरपंच ने वापिस श्री ठाकुर प्रसाद राठी को परसराम के आग्रह पर मुकर्रर किया। यह सब दर्शाता है कि वर्तमान सरपंच भी अब श्री परसराम पूर्व सरपंच के प्रभाव में आ गया है तथा उसे उसकी फर्जी कार्यवाहियों से बचाने की कोशिश की है व कर रहा है इसलिये पूरी कार्यवाही जाली है, जो जांच काबिल है तथा दोनों सरपंचों के विरूद्व फौजदारी प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिये।

3– वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया कि वर्तमान पंचायत को यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत असावरी द्वारा सकल्प सं. 2 दिनांक 02.02.2009 के जारी पट्टा सं. 1 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में इस जायगा पर गांव के लोग यहां बैठकर बातें करते है व 20–30 आदमी हर समय बैठे मिलते है व बैठकों का आयोजन करते है, यह सार्वजनिक जायगा है। यह जायगा कभी भी ग्राम पंचायत असावरी की सम्पति नहीं रही है, न ग्राम पंचायत को इस जायगा को हस्तान्तरण करने का अधिकार है, बावजूद इसके ग्राम पंचायत असावरी ने इस भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 02.02.2009 को सार्वजनिक गवांई मंदिर प्रयोजनार्थ भूमि आम गवाड असावरी के नाम कर दिया। जिसकी न तो पत्रावली खोली गयी, न नियमों की पालना की गई। इस संबंध में प्रार्थना पत्र लेना, दर्ज करना, मौका मुआयना के लिये पंच नियुक्त करना, रिपोर्ट लेना, भूमि हस्तान्तरण योग्य है अथवा नहीं का निर्णय लेना उजरदारी लेना व साक्ष्य लेना आदि कुछ नहीं किया। राजस्थान पंचायत राज के नियम 158 के अनुसार मंदिर/मस्जिद हेतु पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत असावरी द्वारा सकल्प सं. 2 दिनांक 02.02.2009 के द्वारा पट्टा सं. 1 जारी किया गया, को निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलेक्टर, नागौर